

प्रेस नोट
दिनांक 05.10.2026
थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ ।

एसओजी व थाना दोहरीघाट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब तस्करी करने वाले 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 423 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 5 लाख रुपये) व तस्करी में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल निर्देशन में एसओजी टीम व थाना दोहरीघाट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक- 05.10.2026 को रामनगर बार्डर दोहरीघाट पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान बिना नम्बर प्लेट की महिन्द्रा एक्सयूवी 500 से रायल स्टेज 750 ML की कुल 528 शीशी, व रायल ग्रीन विस्की 750 ML की कुल 36 शीशी, कुल मात्रा - 423 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 1. सूरज चौधरी पुत्र विनोद चौधरी निवासी ग्राम पटेल नगर, थाना रंजीतनगर, जनपद करौली बाग, दिल्ली 2. फरीद खां पुत्र हमीद खां निवासी कंतित शरीफ, थाना विन्ध्याचल, जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध शराब लेकर बिहार जा रहे थे । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ में मु0अ0सं0 231/2026 धारा 60/63/72 आबकारी एक्ट व 319 (2)/318(4)/336(3)/338 बीएनएस बनाम सूरज चौधरी उपरोक्त व फरीद खाँ उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0न्यायालय किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 231/2026 धारा 60/63/72 आबकारी एक्ट व 319 (2)/318(4)/336(3)/338 बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1. सूरज चौधरी पुत्र विनोद चौधरी निवासी ग्राम पटेल नगर थाना रंजीतनगर जनपद करौली बाग दिल्ली ।
2. फरीद खां पुत्र हमीद खां निवासी कंतित शरीफ थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1. दिनांक- 05.10.2026
2. स्थान – रामनगर बार्डर दोहरीघाट ।

बरामदगी का विवरण

1. रायल स्टेज 750 ML की कुल 528 शीशी,
2. रायल ग्रीन विस्की 750 ML की कुल 36 शीशी

3. एक अदद महिन्द्रा एक्सयूवी 500 (बिना नम्बर प्लेट की)

सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के अनुपालन हेतु अभियान के अंतर्गत यातायात एवं ARTO द्वारा संयुक्त रूप से प्राइवेट एम्बुलेंस, स्लीपर बसों की हुई सघन चेकिंग

आज दिनांक 05.10.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे अभियान को सुनिश्चित करने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस टीम और एआरटीओ (ARTO) द्वारा संयुक्त सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले में संचालित होने वाली प्राइवेट एम्बुलेंस और स्लीपर बसों की तकनीकी एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई। अभियान के दौरान संयुक्त टीम द्वारा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी बसों और एम्बुलेंस में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और उनकी कार्यक्षमता की जांच की गई तथा आधुनिक वाहनों में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) की स्थिति की जांच की गई।

अभियान के दौरान वाहन चालकों और कंडक्टर्स के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। इसके अलावा, ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चालकों की एल्कोहल/शराब सेवन की औचक जांच की गई ताकि नशे में वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। बसों में सुचारू रूप से काम करने वाले इमरजेंसी गेट की अनिवार्यता व वाहनों में किसी भी प्रकार के संदिग्ध ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न की सघन चेकिंग की गई। साथ ही साथ वाहन संचालकों और चालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे यातायात के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। अभियान के दौरान संयुक्त टीम द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 05 एम्बुलेंस वाहनों का एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान किया गया।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 3,000/- (तीन हजार रुपया) पीड़ितों को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- **05.10.2026** को पीड़ित / आवेदक मुहम्मद अबुजर पुत्र अंसार अहमद निवासी ग्राम करीमुद्दीनपुर थाना घोसी जनपद मऊ के खाते से यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 3,000/- (तीन हजार रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से घोसी साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 05.10.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 26 टीम गठित कर जनपद के 26 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1430 संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 525 वाहनो को एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान व 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील किया गया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

साइबर सेल जनपद मऊ टीम द्वारा मऊ जंक्शन पर साइबर जागरूकता माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में साइबर अपराध जागरूकता माह के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक- 05.10.2026 को साइबर सेल टीम द्वारा मऊ रेलवे स्टेशन (जंक्शन) पर एक साइबर जागरूकता माह कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान साइबर सेल की टीम ने स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों, रेल कर्मचारियों तथा आम जनता को वर्तमान समय में हो रहे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों (जैसे -

ओटीपी फ्रॉड, बैंक खाता संबंधी ठगी, फर्जी जॉब ऑफर, डिजिटल अरेस्ट, लॉटरी/इनाम के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड आदि) के प्रति सतर्क व जागरूक किया। किसी भी अज्ञात या संदिग्ध व्यक्ति के साथ अपना बैंक खाता विवरण, एटीएम पिन, यूपीआई पिन या ओटीपी (OTP) कभी साझा न करें। वाट्सएप, एसएमएस व सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी संदिग्ध लिंक अथवा एपीके (APK) फाइल पर क्लिक न करें। पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर की जाने वाली फर्जी वीडियो कॉल (डिजिटल अरेस्ट) से न डरें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। कार्यक्रम के अंत में साइबर सेल टीम ने आमजन को साइबर सुरक्षा पंपलेट वितरित किए और अपील की कि वे स्वयं सतर्क रहें तथा दूसरों को भी जागरूकता का यह संदेश पहुंचाएं।

साइबर हेल्प लाइन नंबर: किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना समय गवाएं तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर विजिट करें।